उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल

(नोडल संस्था)

सलाहकार समिति की बैठक

(प्रदेश के चुनिन्दा कॉलेजों की राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं से साझेदारी की योजना)

बैठक क्रमांक : 01/2014–15

दिनांक : 13–09–2014

स्थान : संस्थान का संचालक–कक्ष **समय : अपरांह् 12:30 बजे**

उपस्थिति :

1	डॉ0 मीरा पिंगले प्रभारी संचालक अधिकारी, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	**अध्यक्ष/नोडल अधिकारी**
2	डॉ0 आर.के. तुगनावत, प्राचार्य होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर	**सदस्य, सलाहकार समिति**
3	डॉ0 अखण्ड प्रताप मिश्र, प्राचार्य टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा	**सदस्य, सलाहकार समिति**
4	डॉ0 एस.के. श्रीवास्तव, प्राचार्य आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर	**सदस्य, सलाहकार समिति**
5	डॉ0 के.एम. जैन, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल	**सदस्य, सलाहकार समिति**
6	प्रो0 अखिलेश कुमार पाण्डेय, अध्यक्ष म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल	**विशेष आमंत्रित**
7	डॉ0 अनिल कुमार पाठक, प्राध्यापक गणित, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	**सचिव, कार्यकारी समिति**
8	डॉ0 अंजलि आचार्य, प्राध्यापक रसायनशास्त्र, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	**सदस्य, कार्यकारी समिति**
9	डॉ0 प्रीति मिश्रा, प्राध्यापक वाणिज्य, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	**सदस्य, कार्यकारी समिति**
10	डॉ0 दीपा एस0 कुमार, सहा0 प्राध्यापक अंग्रेजी, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	**सदस्य, कार्यकारी समिति**
11	डॉ0 विवेक रैच, सहा0 प्राध्यापक, शा0 होल्कर महाविद्यालय, इंदौर	
12	डॉ0 एस0पी0 शुक्ला, प्राध्यापक शा0 टी0आर0एस0 महाविद्यालय, रीवा	
13	डॉ0 एस0पी0 सिंह, सहा0 प्राध्यापक, शा0 टी0आर0एस0 महाविद्यालय, रीवा	

– कार्यवाही विवरण –

विषय क्रमांक –1: योजना से परिचय।

उपस्थित सदस्यों के औपचारिक स्वागत एवं परिचय के उपरांत शासन की उक्त योजना से संस्थान के संचालक द्वारा सलाहकार समिति को अवगत् कराया गया तथा चर्चा प्रारंभ की गई।

विषय क्रमांक –2: कार्यकारी समिति द्वारा तैयार कार्य योजना की समीक्षा।

कार्यकारी समिति के सचिव द्वारा कार्यकारी समिति की बैठक में योजना से संबंधित कार्यो के लिए तैयार की गई वर्गीकृत कार्यसूची सलाहकार समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गई। सलाहकार समिति ने उक्त कार्यसूची **(संलग्नक–1)** को मान्य करते हुए निम्नलिखित सुझाव दिए :–

1– योजना के व्ययों हेतु वित्तीय निर्णय प्रत्येक महाविद्यालय स्वयं के स्तर पर शासकीय नियमानुसार लेंगे। टी.ए. एवं डी.ए. पर होने वाला व्यय का वहन प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा

जनभागीदारी मद से किया जा सकता है। अन्य व्ययों हेतु शासन से अनुदान का अनुरोध नोडल संस्था के माध्यम से किया जाएगा।

2– शासन से इस आशय का आदेश जारी किए जाने का अनुरोध किया जाए कि योजना से संबंधित व्ययों के लिए भागीदार महाविद्यालय जनभागीदारी मद की राशि का उपयोग कर सकते हैं।

3– भागीदार महाविद्यालयों का स्वॉट विश्लेषण मानक–प्रारूप या सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाए।

विषय क्रमांक –3: प्रथम परिचयात्मक कार्यशाला का आयोजन।

संचालक ने प्रस्तावित किया कि योजना के मूल उद्देश्यों से भागीदार संस्थाओं को सुपरिचित कराने के लिए होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर द्वारा एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है। इस कार्यशाला में योजना के भागीदार संस्थाओं के प्राचार्य एवं एक संकाय सदस्य, जो इस योजना को संबंधित संस्था में लागू करने में सहयोग करेंगे, शामिल होंगें। प्रथम कार्यशाला शीघ्र किया जाना उचित होगा। होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर के प्राचार्य से परामर्श कर दिनांक 27–09–2014 को एक–दिवसीय कार्यशाला आयोजित करना निश्चित किया गया।

उक्त कार्यशाला में संस्थाओं को अपने यहॉ प्रचलित पाठ्यक्रमों में अन्य भागीदार संस्थाओं के साथ साझेदारी करने, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का आदान–प्रदान करने एवं साझेदारी के अन्य संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने है। इस कार्यशाला में भागीदार संस्थाएँ साझेदारी करने योग्य क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए 10–15 मिनट की पावर–पाइंट प्रस्तुति देंगी।

प्रस्तुति के बिन्दु निम्नानुसार होंगेः–

1. महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय, विद्यार्थियों तथा संकाय सदस्यों की संख्या
2. महाविद्यालय में शोध की स्थिति : जर्नल, शोध पत्र प्रकाशन, शोध परियोजना आदि की स्थिति
3. महाविद्यालय में पुस्तकालय की विशिष्टताएँ एवं कमियॉ, Inflibnet के N-List प्रोग्राम की स्थिति
4. महाविद्यालय में प्रयोगशालाओं की विशिष्टताएँ एवं कमियॉ
5. विषयवार संकाय सदस्यों की विशिष्टताओं के क्षेत्र : शिक्षण एवं शोध हेतु
6. यूजीसी/अन्य एजेंसी से अनुदान की स्थिति
7. महाविद्यालय के साथ अन्य संस्थाओं की साझेदारी की वर्तमान स्थिति
8. महाविद्यालय में नवाचार के प्रयास
9. महाविद्यालय को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार
10. वैसे क्षेत्र/विषय/शीर्षक जिसमें अन्य भागीदार संस्थाओं से सहयोग अपेक्षित है।

इस कार्यशाला पर होने वाले व्यय की पूर्ति महाविद्यालय जनभागीदारी मद से करेंगे।

विषय क्रमांक –4: योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन एवं सुझाव।

कार्यकारी समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त योजना के तहत् आयोजित होने वाली कार्यशालाओं/सेमिनारों/विशिष्ट व्याख्यानों एवं अन्य गतिविधियों में

टी.ए.,डी.ए., भोजन, रहने की व्यवस्था, पत्राचार, मानदेय, अधोसरंचना विकास आदि मदों में व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए शासन से राशि उपलब्ध कराए जाने हेतु बजट–प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है। इस संबंध में कार्यकारी समिति द्वारा अनुशंसित बजट–प्रस्ताव सलाहकार समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया।

सलाहकार समिति ने बजट प्रस्ताव को कुछ संशोधन के साथ अनुशंसित किया **(संलग्नक–2)**। समिति के द्वारा अनुशंसा की गई कि इस योजना में संकाय सदस्यों के टी.ए. एवं डी.ए. पर आने वाले व्ययों को संबंधित महाविद्यालय के जनभागीदारी मद से व्यय योग्य माना जाए। अन्य बजट शीर्षों के व्यय हेतु शासन से अनुदान की राशि प्राप्त करने का एक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।

विषय क्रमांक –5: विभिन्न मदों में व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यपद्धति एवं दरों का निर्धारण।

संचालक/नोडल अधिकारी ने अवगत कराया कि उक्त योजना में प्रायः ही विभिन्न संस्थाओं के विशेषज्ञ भागीदार संस्थाओं में आमंत्रित होंगे एवं भागीदार संस्थाओं के बीच भी संकाय सदस्यों का आदान–प्रदान होगा। इस हेतु यात्रा व्यय, ठहरने के व्यय, भोजन व्यवस्था, मानदेय आदि शीर्ष में व्यय किया जाना होगा। शासकीय कर्मचारियों हेतु शासन के नियमानुसार इन मदों में व्यय की प्रतिपूर्ति करनी होगी। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से आमंत्रित विशेषज्ञों को यात्रा व्यय एवं मानदेय की प्रतिपूर्ति करनी होगी। सामान्य तौर पर ऐसे संस्थानों के विशेषज्ञ हवाई यात्रा/स्वयं के वाहन से यात्रा करते हैं।

अतः ऐसे व्ययों की प्रतिपूर्ति की कार्यपद्धति एवं स्वीकृति के संबंध में अपनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों पर विचार कर सलाहकार समिति निर्णय लेना चाहे। साथ ही, मानदेय की दरों एवं अन्य व्ययों की सीमा पर भी विचार कर निर्णय लेना चाहे।

समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि बाह्य विशेषज्ञों की यात्रा एवं उनको देय मानदेय के संबंध में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में लागू दरों को इस समवाय हेतु मान्य किया जाए। अन्य व्ययों हेतु शासन के नियमों का पालन किया जाना होगा।

विषय क्रमांक –6: भागीदार संस्थाओं द्वारा आपस में साझेदारी हेतु समवाय (Cluster) का निर्माण।

नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शासन की यह योजना साझेदारी तथा नवाचार के माध्यम से गुणात्मक उत्कर्ष प्राप्त करने की दिशा में एक प्रयास है। योजना में भागीदार संस्थाओं को प्रथमतः आपसी साझेदारी के द्वारा उद्देश्यों की आंशिक पूर्ति करनी है, तत्पश्चात् ये संस्थाएँ राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं से भागीदारी करने हेतु प्रयास करेंगी। आपसी साझेदारी को क्रियाशील करने के लिए भागीदारी संस्थाओं के एक समवाय का निर्माण शासन के निर्देशानुसार किया जाना है।

भागीदार संस्थाएँ क्लस्टर के माध्यम से पारस्परिक संवाद करेगी जिससे एक–दूसरे के अनुभव एवं दृष्टिकोण से लाभ उठाया जा सकेगा। पाठ्यक्रम विकास, अध्ययन–अध्यापन की नई विधाएँ, शिक्षकों के प्रशिक्षण और मूल्यांकन के लिए नवाचार करने आदि जैसे आयामों में गुणात्मक सुधार करने की दिशा में संस्थाएँ कार्य करेंगी। अतः इस हेतु सलाहकार समिति आवश्यक कार्यपद्धति का सुझाव देना चाहे। कार्यकारी समिति में विचारोपरांत इस समवाय का नाम Cluster for Enhancing Quality through Innovation and Collaboration (CEQIC) रखे जाने की अनुशंसा की गई है।

सलाहकार समिति कृपया विचार कर निर्णय लेना चाहे। सलाहकार समिति द्वारा विचारोपरांत समवाय के नाम पर सहमति व्यक्त की गई। समिति ने समवाय हेतु संस्थान की वेबसाइट से लिंक करते हुए एक वेब पेज बनाए जाने का प्रस्ताव दिया जिसे शीघ्र लागू करते हुए एक वेब पेज www.iehe.ac.in\cluster.aspx निर्मित कर दिया गया। इस वेब पेज के माध्यम से ही cluster पर सूचनाओं एवं अन्य गतिविधियों का आदान–प्रदान किया जाएगा। इस वेब पेज पर निम्नांकित सूचियाँ शीघ्र प्रदर्शित की जाएँगीः–

1– भागीदार संस्थाओं की प्रयोगशालाओं में उपलब्ध बड़े एवं मूल्यवान उपकरण जिनका उपयोग अन्य संस्थाएँ शोध हेतु कर सकती हैं।

2– शिक्षण एवं शोध के क्षेत्र में भागीदार संस्थाओं के संकाय सदस्यों की विशिष्टताएँ जिनका लाभ अन्य संस्थाओं द्वारा लिया जा सकता है।

3– भागीदार संस्थाओं में प्रकाशित होने वाले जर्नल एवं जारी शोध परियोजनाओं की सूची।

4– विद्यार्थियों के संलग्नीकरण हेतु उपलब्ध शोध परियोजनाएँ।

उपरोक्त के अतिरिक्त सलाहकार समिति द्वारा cluster के माध्यम से शासन से अनुमोदन उपरांत निम्न योजनाएँ शीघ्र संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया :–

1– Cluster के माध्यम से **स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम** प्रारंभ किया जाए। स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए होल्कर महाविद्यालय इंदौर नोडल संस्था होगी। इस प्रोग्राम हेतु प्रत्येक महाविद्यालय में परियोजनाएँ निर्मित की जाएंगी एवं भागीदार संस्थाओं के विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। प्रत्येक भागीदार संस्था में प्रतिवर्ष कम से कम 05 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को एक माह की अवधि के लिए रू. 2000/– प्रतिमाह की वृत्ति तथा रू. 100/– प्रतिदिन का वाहन भत्ता दिया जाएगा एवं कम से कम 01 माह के लिए एक विद्यार्थी को परियोजना से संलग्न किया जाएगा। ये परियोजनाएँ 'करो और सीखो' सिद्धांत पर मुख्यतः आधारित होंगी। शासन से इस हेतु आवश्यक स्वीकृति एवं अनुदान प्राप्त होने पर उक्त योजना लागू की जाएगी। अनुदान हेतु अन्य संस्थाओं (यूजीसी/मेप कॉस्ट/डीएसटी आदि) को भी प्रस्ताव प्रेषित किए जाएँगे।

2– Cluster के भागीदार संस्थाओं के बीच संकाय सदस्यों के आदान–प्रदान की भी अनुशंसा की गई। एक संकाय सदस्य कम से कम 05 दिवसों के लिए किसी दूसरी संस्था में शिक्षण या शोध हेतु अपना योगदान देगा। इस हेतु एक केलेण्डर नोडल संस्था द्वारा जारी किया जाएगा ताकि आगामी सेमेस्टर (जनवरी 2015 से) से **'संकाय सदस्यों का विनिमय'** की इस योजना को लागू किया जा सके। केलेण्डर जारी किए जाने के पूर्व नोडल संस्था द्वारा संकाय सदस्यों की विशिष्टताएँ एवं भागीदार संस्थाओं की आवश्यकताओं का आकलन विषयवार किया जाएगा ताकि इस गतिविधि का अधिकतम लाभ लिया जा सके।

3– Cluster के भागीदार संस्थाओं के विद्यार्थियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक सरोकारों को विकसित एवं समृद्ध करने के लिए सांस्कृतिक विनिमय की योजना लागू की जाए। इस योजना में भागीदार संस्थाएँ वार्षिकोत्सव के समय अपने विद्यार्थियों का आदान–प्रदान विभिन्न कार्यक्रमों हेतु कर सकती है।

विषय क्रमांक –7: प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

नोडल अधिकारी ने प्रस्तावित किया कि योजना के अंतर्गत संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है। प्रशिक्षण विषयवार भागीदार संस्थाओं में आयोजित किए जा सकते हैं। प्रस्तावित है कि निम्नानुसार एक सप्ताह की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ:–

विज्ञान संकाय के लिए – होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर तथा आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर।

कला संकाय के लिए – शासकीय कन्या महाविद्यालय, सागर तथा कमला राजे कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर।

वाणिज्य संकाय के लिए – शा0 सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल तथा उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विषय के शिक्षक आपसी सहभागिता से पाठ्यक्रमों के विकास, नए पाठ्यक्रमों की रचना, साझेदारी से शोध कार्यो में प्रगति आदि विषयों पर चर्चा करते हुए एक प्रतिवेदन तैयार करेगें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राष्ट्रीय संस्थानों से विषय विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाएंगे, जो शोध के नए आयामों से संकाय सदस्यों को परिचित कराएंगे। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य संकाय सदस्यों को विषय के नवीनतम संसाधनों (पुस्तक, जरनल आदि) से परिचित कराना, साझेदारी के बिन्दुओं को चिन्हित करना, शोध की दिशा में नए प्रयास करना एवं नए पाठ्यक्रमों का विकास करना होगा।

सलाहकार समिति ने कला संकाय के लिए कमलाराजे कन्या महाविद्यालय ग्वालियर के स्थान टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा को प्रतिस्थापित करते हुए उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

विषय क्रमांक –8: चयनित संस्थाओं में शोध/अनुसंधान की गतिविधियों का सतत् संचालन।

नोडल अधिकारी ने अवगत कराया कि योजना में प्रत्येक संस्था द्वारा शोध संबंधी कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना है। शिक्षकों को शोध परियोजनाएँ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। चयनित संस्थाओं को स्वयं को शोध केन्द्र के रूप में विकसित करने, आवश्यकतानुसार शोध जर्नल प्रकाशित करने, डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रम संचालित करने पर भी बल दिया जाना है। इस हेतु सलाहकार समिति आवश्यक कार्यपद्धति अपनाए जाने हेतु सुझाव देना चाहे।

सलाहकार समिति ने निम्न बिंदुओं की अनुशंसा की :–

1– शोध गतिविधियों के संबंध में चर्चा करते हुए कोलवरेटिव रिसर्च (साझेदारी के साथ शोध) को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया।

2– प्रत्येक भागीदार संस्था अपने संकाय सदस्यों को यूजीसी की शोध परियोजनाएँ लेने हेतु अधिकाधिक प्रोत्साहित करें तथा आवश्यक होने पर इस हेतु कार्यशाला भी आयोजित करें।

3– प्रत्येक महाविद्यालय कम से कम एक विषय में स्तरीय शोध जनरल प्रकाशित करे जिसके लिए आवश्यक होने पर एक पब्लिकेशन सेल की स्थापना की जाएगी।

4– यह निर्णय लिया गया कि शासन से अनुरोध करते हुए शोध पत्रों के वाचन हेतु विदेश यात्रा की अनुमति प्राप्त करने एवं अनुदान प्राप्त करने में आ रही अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जाए।

5– इन संस्थाओं में कार्यरत् शिक्षकों के वर्कलोड की गणना करते समय उनके शोध कार्यों (शोध प्रोजेक्ट पर कार्य, शोध विद्यार्थियों का मार्गदर्शन आदि) पर व्यतीत समय का भी ध्यान रखा जाए।

6– शासन से अनुरोध किया जाय कि इन भागीदार संस्थाओं में अच्छे शोध से जुड़े प्राध्यापकों/सहा0 प्राध्यापकों की पदस्थापना की जाए एवं सामान्य स्थिति में इन संस्थानों को स्थानांतरण प्रक्रिया से मुक्त रखा जाए।

विषय क्रमांक –9: राष्ट्रीय महत्व या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं के साथ–साथ महत्वपूर्ण इकाईयों/प्रतिष्ठानों से अनुबंध।

नोडल अधिकारी ने अवगत कराया कि योजना के अंतर्गत भागीदार संस्थाओं को प्रथमतः राज्य में स्थित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं एवं औद्योगिक–प्रतिष्ठानों से संपर्क स्थापित कर साझेदारी के संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना है। शैक्षणिक संस्थाओं से अधोसरंचना एवं पाठ्यक्रम में साझेदारी, विद्यार्थी विनिमय एवं संकाय सदस्यों की अंशकालिक संबद्धता आदि की संभावनाओं पर चर्चा की जानी है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों से उनकी आवश्यकता के अनुरूप रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को निर्मित किए जाने पर चर्चा की जानी है।

प्रस्ताव किया गया कि इस हेतु भागीदार संस्थाएँ सर्वप्रथम ऐसे संस्थानों/उद्योगों को चिन्हित करेंगी तथा प्राचार्य एवं संकाय सदस्यों का एक दल साझेदारी के लिए चिन्हित संस्थानों का भ्रमण करेगा। भ्रमण करने के पूर्व पत्राचार के माध्यम से आवश्यक प्रारंभिक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। एम.ओ.यू. का प्रारूप संबंधित संस्था को नोडल संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथापि प्रारूप को संबंधित भागीदार संस्था एवं एम.ओ.यू. के प्रयोजनों के अनुरूप संशोधित किया जाएगा। संशोधित अंतिम प्रारूप पर शासन का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत ही एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया जा सकेगा।

सलाहकार समिति ने प्रस्ताव पर विचार करते हुए सहमति व्यक्त की। समिति ने सचिव द्वारा उपलब्ध कराई गई मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय संस्थानों की सूची पर विचार करते हुए प्रथम स्तर पर लेटर ऑफ इंटेट तथा द्वितीय स्तर पर एम.ओ.यू. किए जाने का निर्णय लिया। लेटर ऑफ इंटेट तथा एम.ओ.यू. तैयार करते समय डबलीन सिटी यूनिवर्सिटी के प्रारूप को ध्यान में रखे जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान की तर्ज पर उद्योगों के साथ मिलकर व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांक –10: राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों के आमंत्रित व्याख्यान का आयोजन।

नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना के तहत भागीदार संस्थाएँ राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के विषय विशेषज्ञों के व्याख्यानों का आयोजन करेंगी। इस हेतु विषयवार विशेषज्ञों का एक पूल प्रत्येक संस्था द्वारा तैयार किया जाएगा एवं इसे नोडल संस्था को उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञों से संस्थाएँ सीधे संपर्क कर व्याख्यानों का आयोजन कर सकेंगी परंतु इसकी सूचना नोडल संस्था को देना अनिवार्य होगा।

समिति ने प्रस्ताव पर विचार कर सहमति व्यक्त की एवं अनुशंसा की गई कि राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से आमंत्रित विशेषज्ञों को उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में लागू दरों के

आधार पर यात्रा–भत्ता, मानदेय आदि दिया जाए। समिति ने विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों का एक डाटाबेस तैयार किए जाने का प्रयास किए जाने पर बल दिया।

विषय क्रमांक –11: विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर चर्चा।

नोडल अधिकारी ने अनुदानों पर चर्चा करते हुए कहा कि सामान्य तौर पर सभी भागीदार संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य सरकारों के कई अन्य उपक्रमों से भी अनुदान प्राप्त होता है। परंतु, कई बार उचित जानकारी के अभाव में अनुदानों के प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाते एवं अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। प्रस्ताव है कि विभिन्न उपक्रमों से प्राप्त होने वाले संभावित अनुदानों एवं संबंधित योजनाओं का एक संकलन तैयार किया जाए तथा इस संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं गतिविधि हेतु जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर को चिन्हित किया जाना प्रस्तावित है।

सलाहकार समिति प्रस्ताव से सहमत हुई एवं इस कार्य के लिए महाविद्यालय से सहमति प्राप्त किए जाने के उपरांत उक्त या कोई अन्य महाविद्यालय चिन्हित किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

विषय क्रमांक –12: प्रत्येक भागीदार महाविद्यालय में योजना के प्रभारी के रूप में एक संकाय सदस्य को चिन्हित करने के संबंध में।

नोडल अधिकारी ने अवगत कराया कि कार्यकारी समिति ने अनुशंसा की है कि प्रत्येक भागीदार महाविद्यालय में समन्वय की दृष्टि से एक वरिष्ठ संकाय सदस्य को योजना के प्रभारी के रूप में चिन्हित किया जाए तथा उक्त अधिकारी का नाम, ईमेल तथा मोबाइल नं. नोडल संस्था को उपलब्ध कराया जाए।

सलाहकार समिति ने उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :–

समिति ने निर्णय लिया कि सलाहकार समिति की आगामी बैठकों में प्रो0 अखिलेश कुमार पाण्डेय, अध्यक्ष म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए ताकि इनके अनुभवों का लाभ इस समवाय को प्राप्त हो सके।

(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

(प्रो0 अनिल कुमार पाठक)
सचिव, कार्यकारी समिति